सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 5/12/19 | पत्रावली पेश हुई।<br>वादी अधिवक्ता उप0। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उप0।<br>उभय पक्ष को सुना।<br>वादी ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के क्रय शुदा विभाजित खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 432/60, 535/432, 536/432 रकबा क्रमशः 42.17, 0.07, 12.19 बीघा कुल रकबा 56.03 बीघा ग्राम मौखाब खुर्द, पटवार मण्डल मौखाब, तह0 शिव में आये हुए है। वादग्रस्त आराजी क्रय करते समय एवं बैचान दस्तावेज लिखवाते समय वादी स्वयं नाबालिग मात्र 4–5 वर्ष का ही था तथा उक्त बैचान दस्तावेज की समस्त कागजी कार्यवाही वादी के परिवार वालो एव रिश्तेदारी द्वारा करवाये जाने के कारण वादी के घरेलू एवं आम बोलचाल का नाम सोहनराम का अंकन बैचान दस्तावेजे मे कर दिया गया। जबकि वादी का सही एवं अन्य दस्तावेजात मे नाम सोनाराम जाट पुत्र जेठाराम दर्ज एवं अंकित है। अतः वादी ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम के शुद्धिकरण हेतु वाद प्रस्तुत किया है।<br><br>वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारि किये गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की और से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अपनी सहमति जाहिर की एवं प्रतिवादी संख्या 4 तहसीलदार शिव ने अपने जबाव मे वादी के नाम को दुरूस्त किये जाने मे अपनी अनापति जाहिर की है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में आधार कार्ड, मतदाता पचहचान कार्ड, अंक तालिका, वर्तमान जामाबन्दी, व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये।<br><br>हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा प्रतिवादी राजपैरोकार के जवाब का अवलोकन किया। वादी के सही नाम श्री सोनाराम जाट पुत्र जेठाराम के स्थान पर श्री सोहनराम पुत्र जेठाराम दर्ज कर दिया गया है।<br><br>लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 432/60, 535/432, 536/432 रकबा क्रमशः 42.17, 0.07, 12.19 बीघा कुल रकबा 56.03 बीघा ग्राम मौखाब खुर्द, पटवार मण्डल मौखाब, तह0 शिव भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम सोहनराम पुत्र जेठाराम के स्थान पर सोनाराम जाट पुत्र जेठाराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।<br><br>पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।<br>निर्णय आज दिनांक 05.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।<br><br>सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)<br>शिव, जिला–बाड़मेर<br>सहायक कलक्टर (SDO) शिव | |

Scanned by CamScanner

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

# अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव

पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 179/2019

अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

| वादी | बनाम | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| सोनाराम जाट पुत्र जेठाराम, जाति–जाट, नि0 मौखाब खुर्द, तह0 शिव | | 1. टीकमाराम पुत्र जेठाराम<br>2. मानाराम पुत्र जेठाराम<br>3. श्रीमती खमादेवी पत्नी नानगाराम जाति–जाट, नि0 मौखाब खुर्द, तह0 शिव<br>4. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव। |

अधिवक्तागण –वादी वकील – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग उपस्थित

प्रतिवादी वकील– श्री चेतनराम सारण उपस्थित।

## अन्तिम डिक्री

वादी एवं प्रतिवादीगण को आज दिनांक 05.12.2019 को सहायक कलक्टर शिव के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 432/60, 535/432, 536/432 रकबा क्रमशः 42.17, 0.07, 12.19 बीघा कुल रकबा 56.03 बीघा ग्राम मौखाब खुर्द, पटवार मण्डल मौखाब, तह0 शिव भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम सोहनराम पुत्र जेठाराम के स्थान पर सोनाराम जाट पुत्र जेठाराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज तारीख 05.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

(प्रताप सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.10 16:15:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: